

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./2015/

437

आदेश


भोपाल,दिनांक 10/09/15

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा विभागीय अस्थिरोग विशेषज्ञों/स्नातकोत्तर चिकित्सकों (अस्थिरोग) हेतु दिनांक 01.10.15 से 01 माह की अवधि में ऑब्जरवरशिप का आयोजन किया जाना है। इस ऑब्जरवरशिप में भाग लेने हेतु निम्नानुसार प्रतिभागियों को नामांकित किया जाता है:-

क्र.	चिकित्सक का नाम	पद नाम	पदस्थापना स्थल	मोबाईल नं.
1	डॉ. दिलीप पाटीदार	अस्थिरोग विशेषज्ञ	जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर	9826288004
2	डॉ. एस.एस. ठाकुर	अस्थिरोग विशेषज्ञ	जिला चिकित्सालय, जबलपुर	9424310808
3	डॉ. पारस कुमार जैन	अस्थिरोग विशेषज्ञ	जिला चिकित्सालय, भोपाल	9425027377
4	डॉ. एल.डी. जाटव	अस्थिरोग विशेषज्ञ	जिला चिकित्सालय, रीवा	9229410460
5	डॉ. ओ.पी. शर्मा	अस्थिरोग विशेषज्ञ	जिला चिकित्सालय, शिवपुरी	
6	डॉ. देवेश पांडे	चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकित्सालय, उज्जैन	8964000942

उक्त सूची में दर्शाये समस्त नामांकित अधिकारी दिनांक 01.10.15 को प्रातः 9:00 बजे अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति डॉ. संजीव गौर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अस्थिरोग विभाग, जीएमसी, भोपाल को प्रस्तुत करेंगे। समस्त प्रतिभागी ऑब्जरवरशिप में भाग लेने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।

- प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्ता शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से भुगतान किया जावेगा।
- किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि नामांकित चिकित्सक को ऑब्जरवरशिप हेतु कार्यमुक्त किया जाना संभव न हो तो उसके स्थान पर अन्य नियमित, अस्थिरोग विशेषज्ञों/स्नातकोत्तर चिकित्सक (अस्थिरोग) को नामांकित कर उसकी सूचना अधोहस्ताकर्ता को भेजी जावे।
- निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क राशि का भुगतान नियमानुसार विभाग द्वारा देय होगा।


संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक /09/15

पृ. क्र./प्रशि./2015/

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित/प्रेषित :-

1. स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय, भोपाल।
4. अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
5. डॉ. संजीव गौर, विभागाध्यक्ष अस्थिरोग विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 503 दिनांक 14.07.15 के संदर्भ में।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बुरहानपुर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, उज्जैन एवं शिवपुरी म.प्र. की ओर भेज कर लेख है कि आप कृपया आदेश में दर्शाये आपके अधीन कार्यरत नामांकित चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से नियत दिनांक एवं समय पर उक्त ऑब्जरवरशिप में भाग लेने हेतु कार्य मुक्त करें।
8. समस्त संबंधित अस्थिरोग विशेषज्ञों/स्नातकोत्तर चिकित्सक (अस्थिरोग) की ओर पालनार्थ।

संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.